न्यायालय सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-- संजीव मागो, आर०जे०एस० (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या :- 262/2026

एफ० आई० आर० संख्या :-78/2025, थाना मनियां, धौलपुर

अपराध अंतर्गत धारा :- 303(2) बी०एन०एस०

सलीम पुत्र मौहम्मद अली, उम्र 45 साल, निवासी बसई नवाब हाल महात्मानन्द की बगीची, थाना कोतवाली, जिला धौलपुर (राज०)

-प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, धौलपुर

-अप्रार्थी/अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :- 483 बी०एन०एस०एस०

उपस्थिति :-

1- श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।

2- श्री शैलेन्द्र सिंह मथुरिया, लोक अभियोजक राज्य की ओर से ।

आदेश दिनांक : 09.03.2026

1) प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । नकल जमानत आवेदन विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई ।

2) प्रकरण के तथ्यानुसार इस मामले में परिवादी राहुल द्वारा दिनांक 23.02.2025 को एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई गई कि मैं दिनांक 23.02.2025 को समय करीब रात 8 बजे मांगरोल शादी में खाना खाने अपनी मोटर साइकिल नं. आजे एआर 2345 से गया था और मैं अपनी मोटर साइकिल खडी करके खाना खाने लगा और खाने खाने के बाद मैं वापिस अपनी मोटर साइकिल के पास आया तो अज्ञात चोर मेरी होन्डा लीवो मोटर साइकिल जिसका कलर नीला को चुराकर ले गया, जिसकी मैंने आस पास काफी तलाश की, मगर मेरी मोटर साइकिल नहीं मिली..... इत्यादि । उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र मनियां, धौलपुर पर प्राथमिकी संख्या 78/2025 दर्ज कर अनुसंधान जारी है व अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 303(2) बी०एन०एस० का आरोप बनना पाया गया है । प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 28.02.2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना केस डायरी के अवलोकन से प्रकट नहीं हुआ है

जमानत प्रार्थना पत्र बावत आदेश दिनांक 09/03/2026

3) प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी/ अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है, उसको जबरन अपराध में संलिप्त किया गया है । उसका अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड की सजा से दंडनीय नहीं है । उसके कहीं फरार होने अथवा भागने की संभावना नहीं है । प्रकरण के अनुसंधान अथवा अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है । अतः उसे जमानत का लाभ प्रदान किया जावे ।

4) विद्वान लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध मोटर साइकिल चोरी करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है । अतः उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

5) उभयपक्ष की ओर से दिये गये तर्कों पर मनन किया गया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

6) चूंकि प्रस्तुत प्रकरण अभी अनुसंधान के स्तर पर है जिसमें समय लगने की संभावना है। प्रकरण में प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 28.02.2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है जिसके विरुद्ध बताये गये आरोप मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं हैं । अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत व उचित प्रतीत होता है।

7) परिणामस्वरुप प्रार्थी/अभियुक्त सलीम पुत्र मौहम्मद अली, उम्र 45 साल, निवासी बसई नवाब हाल महात्मानन्द की बगीची, थाना कोतवाली, जिला धौलपुर (राज०) की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 78/2025 थाना मनियां, धौलपुर से संबंधित प्रकरण में प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-02, धौलपुर की संतुष्टि हेतु 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें एवं 50 हजार रुपये राशि का स्वयं का मुचलका अपनी नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत कर तस्दीक करादे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जावे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP(CRIMINAL)NO० 4/2021 आदेश दिनांक 28/3/2023 में पारित दिशा-निर्देश की पालना में आदेश की प्रति अधीक्षक, जिला कारागार, धौलपुर को जरिये ई-मेल भेजी जावे ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर-राज०

8) यह आदेश आज दिनांक 09/03/2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर-राज०

PAYAL MANGAR
Stenographer-III
"Authenticated Document"
PAYAL MANGAR
2026.03.09
16:30:55 +0530